सत्यमेव जयते

न्यायालय मुख्य आयुक्त विकलांगजन

COURT OF CHIEF COMMISSIONER FOR PERSONS WITH DISABILITIES

विकलांगजन सशक्तिकरण विभाग / Department of Empowerment of Persons with Disabilities
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय / Ministry of Social Justice and Empowerment
भारत सरकार / Government of India

केस संख्याः 2674 / 1014 / 2016 दिनांक : 12.05.2017

श्री रणवीर सिंह चौहान R1109 वादी
गांव–चन्दूवाली, पोस्ट एवं तह–बानसूर
जिला –अलवर, राजस्थान – 301402

बनाम

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान R1110
(द्वारा) निदेशक
फुलवारी शरीफ, बिहार – 801505 प्रतिवादी

सुनवाई की तिथि : 08.05.2017 दोपहर 12.00 बजे।

उपस्थित :

- श्री रणवीर सिंह, शिकायतकर्ता।
- श्री रातिश नायर, सहायक प्रोफेसर, प्रतिवादी की ओर से।

आदेश

उपरोक्त शिकायतकर्ता श्री रणबीर सिंह चौहान ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना द्वारा स्टाफ नर्स ग्रेड – ।। की भर्ती में विकलांगजन को तीन प्रतिशत आरक्षण नहीं देने से संबंधित शिकायत – पत्र दिनांक 30.08.2014 निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया।

2. मामला अधिनियम की धारा 59 के अन्तर्गत प्रतिवादी से दिनांक 17.03.2015 को लिया गया। परन्तु प्रतिवादी से कोई उत्तर / अपना पक्ष / कृत कार्रवाई की रिपोर्ट प्राप्त नहीं होने पर सुनवाई 08.05.2017 को निर्धारित की गई।

3. सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता ने कहा कि विपक्षी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, बिहार ने 600 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया था और एक भी पद दिव्यांगों के लिए आरक्षित नहीं किया।

----2-----

सरोजिनी हाउस, 6, भगवान दास रोड, नई दिल्ली–110001; दूरभाषः 23386054, 23386154; टेलीफैक्स : 23386006
Sarojini House, 6, Bhagwan Dass Road, New Delhi-110001 ; Tel.: 23386054, 23386154 ; Telefax : 23386006
E-mail: ccpd@nic.in ; Website: www.ccdisabilities.nic.in
(कृपया भविष्य में पत्राचार के लिए उपरोक्त फाईल / केस संख्या अवश्य लिखें)
(Please quote the above file/case number in future correspondence)

4. प्रतिवादी की ओर से उपस्थित सहायक प्रोफेसर का कहना है कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना सन् 2012 स्थापित हुआ है तथा सन् 2013 में उनके द्वारा पहला विज्ञापन प्रकाशित किया गया था जिसमें उन्होंने भुलवंश पहले पृष्ठ पर दिव्यांगों के लिए आरक्षण का जिक्र नहीं किया। परन्तु उन्होंने विज्ञापन के नोट 06 पर दिव्यागें को शुल्क छूट एवं उनकी उपश्रेणी का जिक्र किया है। प्रतिवादी का यह भी कहना है कि जो विज्ञापन 2013 में प्रकाशित हुए था उसमें उन्होंने साफ–साफ लिखा था कि पदों की संख्या अस्थायी है और संस्थान की जरूरत के अनुसार उसे बदला जा सकता है। प्रशासनिक अधिकारी ने दिनांक रहित शुद्धिपत्र के माध्यम से बताया कि स्टाफ नर्स के 220 पद थे और सूचित किया कि 220 में से 158 स्टाफ नर्स के पद ही भरे गये थे।

5. विपक्षी का आगे कहना है कि मुख्य आयुक्त, निःशक्तजन से प्राप्त नोटिस के तुरंत बाद उन्होंने दिव्यागों के लिए फरवरी 2016 में विशेष भर्ती अभियान जारी किया। 158 स्टाफ नर्स के पदों में से 05 पद दिव्यागों को दिये है और भर्ती प्रक्रिया जारी है जैसे ही दिव्यांग व्यक्ति नियुक्ति हो जाएगे उसकी सूचना न्यायलय को दे दी जाएगी।

6. दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात् न्यायालय ने यह पाया है कि दिव्यांगों के लिए जो 05 पद विशेष भर्ती अभियान के तहत प्रकाशित हुए है उनकी भर्ती प्रक्रिया चल रही है। प्रतिवादी को निम्नलिखित निर्देशों के साथ मामले का निपटारा किया जाता है:–

- 220 पदों के अनुसार विकलांगजनों के 07 पद बनते है जबकि प्रतिवादी के अनुसार उन्होंने पाँच पद विशेष भर्ती अभियान के तहत प्रकाशित किये है;
- भविष्य में रोस्टर के हिसाब से रिक्तियों की गणना करें; और यदि बैकलॉग है तो विशेष भर्ती अभियान के तहत रिक्तियों को भरें;
- भर्ती का विज्ञापन कार्मिक और प्रशासनिक विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36035/3/2004 – स्था. (आरक्षण) दिनांक 29.12.2005 तथा समय समय पर जारी किए गए आगमी कार्यालय ज्ञापनों के अनुसार होना चाहिए;
- चयनित अभ्यर्थियों के नाम, विकलांगता की प्रकृति और विकलांगता की प्रतिशतता आदि विवरण सहित उनके पदग्रहण के 15 दिनों के अन्दर इस न्यायालय को सूचित करें।

(डॉ कमलेश कुमार पाण्डेय)
मुख्य आयुक्त